उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
सं0-113/2018/सं0वि0क0नि0-1-1345/11-2018-75/18
लखनऊः दिनाकः 31 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री आशीष कुमार सक्सेना, असिस्टेन्ट कमिश्नर खण्ड-8, वाणिज्य कर झांसी को वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश शासन में प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु शासन के पत्र संख्या- सं0वि0क0नि0-1-1097/ 11-2018-75/18, दिनांक 18.07.2018 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी थी।

2- मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र दिनांक 31.07.2018 के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के श्री आशीष कुमार सक्सेना, असिस्टेन्ट कमिश्नर खण्ड-8, वाणिज्य कर झांसी के संबंध में प्रदान की गयी उपरोक्त अनापत्ति के क्रम में उन्हें आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, इन्दौर को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री आशीष कुमार सक्सेना, असिस्टेन्ट कमिश्नर खण्ड-8, वाणिज्य कर झांसी को आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, इन्दौर को वाणिज्यिक कर अधिकारी (वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड- पे रू0 5400/-) के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु कार्यमुक्ति आदेश प्राप्ति की तिथि से 03 वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति संबंधी सुसंगत शासनादेशो एवं नियमों के अधीन एतद्द्वारा उन्हें कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री राज्यपाल की ओर से,

मो0 मारूफ
विशेष सचिव।

सं0-सं0वि0क0नि0-1-1345 (1)/11-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ को नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।
(2) उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल।
(3) आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, इन्दौर।
(4) श्री आशीष कुमार सक्सेना, असिस्टेन्ट कमिश्नर खण्ड-8, वाणिज्य कर झांसी द्वारा-कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
(5) कर एवं निबन्धन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।